5. जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार ... बिहार विधान परिषद् सचिवालय के कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/अध्यक्ष बिहार विधान परिषद्, पटना के अनुमोदन की प्रत्याशा में उन कर्मचारियों पर भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप यह आदेश प्रभावकारी होंगे।

6. बिहार सेवा संहिता के अवकाश नियमों का संशोधन यथा समय किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(गौरी शंकर सिंह)
सरकार के अवर सचिव, वित्त विभाग।

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग।

प्रतिलिपि—पत्रांक 9/व 3-67/86शि० 204, दिनांक 11-2-87, प्रेषक श्री आर० जय मोहन पिल्ले, सरकार के विशेष सचिव, प्रेषित—सभी जिला शिक्षा अधीक्षक।

विषय—राजकीयकृत प्राथमिक / मध्य (अल्प संख्यक / मदरसा / संस्कृत एवं बुनियादी विद्यालय सहित) विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका एवं कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश में वृद्धि करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने माँग की है कि विद्यालय कलैण्डर में जो 71 दिनों की छुट्टी है, उसे घटाकर 60 दिन कर दी जाए तथा बचे 11 दिनों को अर्जित अवकाश में बदल दिया जाए। क्योंकि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को 3 दिन अर्जित अवकाश (विभागीय आदेश संख्या 2022 दिनांक 10-4-1935) प्राप्त होता है, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है।

2. अत: इस संबंध में शासन के निर्णयानुसार अब अर्जित अवकाश की सीमा कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका एवं कर्मचारियों को एक वर्ष में 3 दिन से बढ़ाकर 14 दिनों तक कर दी गयी है।

3. इस प्रकार अर्जितावकाश में वृद्धि होने के कारण पूर्व में स्वीकृत 71 दिनों की छुट्टी अब 60 दिनों की होगी।

4. वर्द्धित अर्जितावकाश की गणना वर्ष 1987 से की जायेगी। कृपया तदनुसार ही कार्य दिवस एवं घोषित अवकाश में आवश्यक संशोधन कर लिया जाए।

Scanned with OKEN Scanner